राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

कमांक :अराज/सामान्य/परिपत्र/2010/117 दिनांक : 4.2.2010

परिपत्र

निदेशालय के विभिन्न पत्र/परिपत्र/आदेशों के माध्यम से समय–समय पर आपके अधीन नर्सिंग एवं पैरा मेडीकल के कर्मचारियों की उपस्थिति एवं मुख्यालय पर ठहराव सुनिश्चित करने हेतु पाबन्द किया गया हैं। किन्तु उक्त निर्देशों की शत प्रतिशत पालना अभी तक नही की जा रही हैं। जिससे मौसमी बीमारियों एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समय पर निदान नही हो पाता हैं एवं जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को क्षेत्र के भ्रमण के समय आमजन के आक्रोश का सामना करना पड़ता हैं। जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लेते हुये नर्सिंग एवं पैरामेडीकल स्टाफ की उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि आपके अधीन कार्यरत नर्सिंग एवं पैरामेडीकल संवर्ग के कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत नर्सिंग एवं पैरामेडीकल संवर्ग के कर्मचारियों को उनके मुख्यालय पर ठहरने हेतु पाबन्द करते हुये पालना रिपोर्ट 3 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को निदेशालय के फैक्स नं. 0141–2222683 पर अवगत करावें।

04/02

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

कमांक :अराज/सामान्य/परिपत्र/2010/117 दिनांक : 4-2-2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, ईएसआई/भ्रमणशील चिकित्सा ईकाई/पुर्नवास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।
6. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
7. प्रधानाचार्य, आरएफपीटीसी, जयपुर/अजमेर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त पत्र विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।

4/02

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर